

2023/1

खण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
	212 RTA	आंचोली	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कालू	बनाम	मांगीलाल	

वकील :- हेमन्त पारीक

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

9⁰¹/₂₃

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम आंचोली तह0 छबड़ा की विवादित आराजी खसरा नं0 174 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा में प्रार्थी के हिस्से 1/2 पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु, जवाब पेश होने तक अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें तथा अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 20/2/23 को पेश है।

my
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

20²/₂₃

आज पीठस्थित अधिकारी के अन्य कार्य में बास्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 15/3/23 को पेश हो।

W
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां),

15³/₂₃

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम आंचोली तह0 छबड़ा की विवादित आराजी खसरा नं0 174 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा में प्रार्थी के हिस्से 1/2 पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु, जवाब पेश होने तक अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें तथा अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 26/4/23 को पेश हो।

W
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां),

12⁷/₂₃

पत्रावली, मरक केमो के वास पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0 प्रतिवादी गणों के वास शामिल समूह प्राप्त। प्रतिवादी अ0 1 वाकजू5 सूचना के अनुपस्थित रहे है। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पूर्व में जारी अध्या0 आदेश प्रभावित रखा जाता है। पत्रावली वाले बहसों गेड 5/4/23 को पेश है।

24 पत्रावली पेश हुई। नकील पार्थी उपा/बहन हेतु लम्बे-माल्टे है। आगामी पेशी पर आनन्द पद रूप से बहल हो। पत्रावली वास्ते अदालत 11.9.24 को पेश हो।

11.9.24

आज पीठासीन अधिकारी के ^(पत्रावली) अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30.10.24 को पेश हो।

ly
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

30.10.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25.11.24 को पेश हो।

an
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

25.11.24

आज पीठासीन अधिकारी के ^(अन्य कार्य) अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4.12.24 को पेश हो।

ly
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

4.12.24

^{कानूनी} आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9.12.24 को पेश हो।

ly
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

9-12-24

पत्रावली पेश हुई। नकील जमी 350 बहल हेतु लम्बे-माल्टे है। पत्रावली वास्ते अदालत दिनांक 17-12-24 को पेश हो।

17-12-24

पत्रावली पेश हुई। नकील पार्थी एवं स्वयं पार्थी उपा/बहन लगी है। न्यायालय के क्लर्क-रुद्र चट लीक वा रखावाज लावाई गई। कार्रवाई स्थगित होके एक इंतजार किया। कोई उपच नही हुआ। प्रकरण अदालत जमी अदालत पेशी के खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फंडाल मुफ्त होकर 5 दिवस देकर है।